संस्थान प्रबंधन समिति
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था.परपोड़ी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

Industrial Training Institute

मो.नं. 07821–299114, 9479278372 E-mail ID – itiprpd@rediffmail.com

क्रमांक–औप्रसं / पर / आईएमसी / प्रशि. / मेह.प्रव. / 2025 / 1221 / परपोड़ी, दिनांक 13.10.2025

/ / विज्ञप्ति / /

संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) संस्था में प्रशिक्षण सत्र 2025–26 के लिए संस्था में आईएमसी के अंतर्गत संचालित व्यवसाय मेकेनिक डीजल एवं वेल्डर (GMAW&GTAW) के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उक्त व्यवसायों में मेहमान प्रवक्ताओं (गेस्ट लेक्चरर) के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 28-10-2025 समय शाम 5:00 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला बेमेतरा (छ.ग.) पिन कोड 491331 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन स्वयं उपस्थित होकर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा/प्रेषित कर सकते हैं। विज्ञापन का विवरण इस संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय प्राचार्य/संस्था प्रमुख शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है अथवा संस्था की वेबसाइट वेबसाइट https://itiparpodi.com से एवं बेमेतरा जिला के वेबसाइट वेबसाइट https://bemetara.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।

Digitally signed by
VINOD KUMAR JOGI
Date: 13-10-2025
11:51:41

संस्था प्रमुख/सचिव
संस्थान प्रबंधन समिति
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

संस्थान प्रबंधन समिति
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था.परपोड़ी
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

Industrial Training Institute

मो.नं. 07821–299114, 9479278372 E-mail ID – itiprpd@rediffmail.com

क्रमांक–औप्रसं/पर/आईएमसी/प्रशि./मेह.प्रव./2025/ 1221 /परपोड़ी, दिनांक 13.10.2025

//विज्ञापन//

संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) संस्था में प्रशिक्षण सत्र 2025–26 के लिए संस्था में आईएमसी के संचालित संचालित व्यवसाय मेकेनिक डीजल एवं वेल्डर (GMAW&GTAW) के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उक्त व्यवसायों में मेहमान प्रवक्ताओं (गेस्ट लेक्चरर) के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 28-10-2025 समय शाम 5:00 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला बेमेतरा (छ.ग.) पिन कोड 491331 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन स्वयं उपस्थित होकर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा/प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथी एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा| रिक्त पदों की जानकारी, शैक्षणिक, तकनिकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है-

1. रिक्त पदों की जानकारीः–

सरल क्रमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	पदों की संख्या	वर्ग
1	2	3	4
1	मेकेनिक डीजल	1	अनारक्षित
2	वेल्डर (GMAW&GTAW)	1	अनारक्षित
	योग	2	

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

स. क्रं.	व्यवसाय / विषय का नाम	शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं (वर्तमान प्रचलित सेवा भर्ती नियम के अनुसार)
1	2	3
01	मेकेनिक डीजल	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल / ऑटोमोबाईल इंजीनियरींग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही.) का वैध लायसेंस अनिवार्य है। 4. डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई. / सी.टी.आई. / एन.व्ही.टी.आई. / आर.व्ही.टी.आई. / आई.टॉट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
02	वेल्डर (GMAW & GTAW)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वी. अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल / प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरींग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ए.टी.आई. / सी.टी.आई. / एन.व्ही.टी.आई. / आर.व्ही.टी.आई. / आई.टॉट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रकिया :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एक वर्षीय सी.टी.आई./ ए.टी.आई. (CITS/NCIC) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा।
2. एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. (CITS/NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही, उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैद्य (परमानेंट) लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र वैद्य (परमानेंट) लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह संस्था द्वारा निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।
5. किसी व्यवसाय में विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिए संस्थान प्रबंधन समिति शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला- बेमेतरा (छ.ग.) निर्णय ले सकेंगे।

6. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोंग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेट (अंग्रेजी) के लिये प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
7. इसी प्रकार एम्प्लॉयएबिलिटी स्किल में प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।

04 नियम एवं शर्ते :-

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्राचार्य/संस्था प्रमुख, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण परपोड़ी, जिला-बेमेतरा-.से प्राप्त किया जा सकता है या संस्था की वेबसाइड https://itiparpodi.com से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारुप में स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुवाच्य रूप से बिना कांट-छांट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य/संस्था प्रमुख, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परपोड़ी, जिला-बेमेतरा, (छ.ग.) पिन कोड 491331 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित) स्वयं उपस्थित होकर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही जमा/प्रेषित किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के ऊपर व्यवसाय/विषय का नाम (जिस व्यवसाय/विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है) एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति पढ़कर पूर्ण रूप से आवेदन भरकर स्वयं उपस्थित होकर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से ही जमा/प्रेषित करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
3. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक शासकीय आई.टी.आई परपोड़ी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा/स्पीड पोष्ट/पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदनों पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
4. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)
6. संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नया रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु अद्यतन जारी आदेश/निर्देशानुसार संबंधित पद हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर मेरिट/चयन/प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अनुभव आवश्यक नहीं है
7. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये संबंधित व्यवसाय/विषय में एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई, (CITS/ NCIC) प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जाएगी। CITS/NCIC उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर कार्यवाही की जाएगी।

8. राज्य व्यवसायिक परीक्षा (एससीव्हीटी) उत्तीर्ण आवेदकों को संबंधित व्यवसाय/विषय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर सेक्रेट्रियल असिस्टेट (अंग्रेजी) के लिये प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट की गति की योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकेंगे। इन व्यवसायों हेतु प्राप्त पात्र आवेदकों की शीघ्रलेखन दक्षता परीक्षा ली जाकर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
10. इसी प्रकार एम्प्लॉएबिलिटी स्किल के लिये प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।
11. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
12. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारुप में स्वयं उपस्थित होकर/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा/प्रेषित किया जा सकता है। प्रेषित आवेदन नियत तिथि एवं समय के पश्चांत/विलंब से प्राप्त होने पर संस्था जवाबदार नहीं होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं वे स्वमेव ही निरस्त हो जाएगे।
13. आवेदक, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हे इस हेतु पृथक-पृथक व्यवसायों/विषयों के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
14. आवेदित पद हेतु अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। (उनकी अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
15. चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। चयन सूची शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोडी जिला-बेमेतरा(छ.ग.) के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी।
16. संस्थान प्रबंधन समिति, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित मोबाईल/दूरभाष नं. पर ही दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। उन्हे दूरभाष पर ही आमंत्रण स्वीकार करना होगा, उन्हे किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावेगा ना ही दिया जावेगा।
17. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी।
18. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिाति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी।
19. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 140 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे के मानदेय का प्रावधान है एवं प्रति माह अधिकतम रुपये 15000 (अक्षरी पंद्रह हज़ार रूपये) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। अथवा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये मानदेय संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) के द्वारा शासन के नियमानुसार/संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) के Guidelines के अनुसार मानदेय देय होगा |

20. आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं को किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
21. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रुप में एक से अधिक व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का उसी समय उसका शेष अन्य व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा।
22. चयन प्रक्रिया के पश्चात् मेहमान प्रवक्ता पद पर आमंत्रित आवेदक अपने कार्य पर उपस्थित होने पर आवेदन में दिये शपथ पत्र अनुसार 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
23. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोपजनक नहीं होने की स्थिति में उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उन्हे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संस्था प्रमुख/संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा लिया जा सकेगा।
24. मेरिट/चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जावेगा। किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा।
25. चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) का निर्णय अंनतिम एवं बंधनकारी होगा।

संस्था प्रमुख/सचिव
संस्थान प्रबंधन समिति
शास.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम : ....

व्यवसाय/विषय का नाम : ....

(जिस व्यवसाय/विषय के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना है)

स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो स्वप्रमाणित लगायें

प्रति,

संस्था प्रमुख
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण परपोड़ी
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

01	आवेदक का नाम	:	....
02	पिता/पति का नाम	:	....
03	माता का नाम	:	....
04	जन्म तिथि (अंकों में)	:	....
	(शब्दों में)	:	....
05	रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्र.	:	....
	व दिनांक	:	....
06	जाति	:	....
07	पत्र व्यवहार का पूरा पता	:	....
		....	
		....	
08	मोबाईल नं.	:	....
09	ईमेल आईडी	:	....
10	स्थायी निवास का पूरा पता	:	....
			....
			....
11	सी.टी.आई./ए.टी.आई.उत्तीर्ण (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें।	:	....
12	हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही) का वैद्य लाइसेंस (यदि लागू हो)(हॉ/ नहीं)	:	....

क्रमशः 2 पर

13 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

क्र.	परीक्षा का नाम	मण्डल/बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय/व्यवसाय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

टीपः— 1. प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे

2. आवेदन संस्था के नाम के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा/स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित/जमा कर सकते है ।

3. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की छायाप्रति संलग्न करें।

4. छ.ग. का मूल निवासी होने का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें ।

दिनांक.............. (आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान...............

पूरा नाम..............................

पूरा पता..............................

मोबाईल नम्बर.........................

// शपथ-पत्र //

मैं (आवेदक का नाम)................................ पिता/पति.. पता...............................
... यह शपथ प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ कि :-

1. मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. रायपुर द्वारा निर्धारित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित लागू/ मानदेय अथवा संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था परपोड़ी जिला-बेमेतरा (छ.ग.) के द्वारा शासन के नियमानुसार/संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) के Guidelines के अनुसार मानदेय प्राप्त करूंगा/करुँगी|
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत/संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही एवं सत्य है, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अथवा प्रस्तुत/संलग्न प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
3. मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा मेरा यह चयन आवश्यकतानुसार या इस सत्र के लिये या नियिमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगा/रहेगी। इसके लिये में सहमत हूँ।
4. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी।
5. मैं एक से अधिक व्यवसाय/विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही व्यवसाय/विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाउंगा/जाउंगी तथा उसी समय मेरा शेष अन्य व्यवसाय/विषय के लिये चयन स्वयमेव निरस्त हो जावेगा ।
6. मैं किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण में संलिप्त नहीं हूँ अथवा यदि मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दाण्डीक अथवा अनुशानहीनता की जानकारी बाद में भी प्राप्त होने पर मुझे मेहमान प्रवक्ता के कार्य से हटा दिया जावेगा जो मुझे मान्य होगा।
7. मैं शासन एवं संस्था के समस्त आदेशों / निर्देशों तथा नियमों का पालन करने बाध्य रहूंगा/रहुगी।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1 .... 2..
3 .... 4..
5 ....6...
7 ....8..

दिनांक.............. (आवेदक के हस्ताक्षर)
स्थान...............
पूरा नाम..............................
पूरा पता...............................
मोबाईल नम्बर.........................